पत्रांक 1 प्र0आ0-19/2007 2389 /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,

पटना 15, दिनांक 4/8/07

विषयः- साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के दैनिक मजदूरी के दर का निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक-1/प्र0आ0 2-0 12/98 1428 दिनांक 24.07.99 द्वारा साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को प्रतिदिन के मजदूरी का दर 70 (सत्तर) रुपये निर्धारित किया गया था।

नाविकों की दैनिक मजदूरी क्या हो, यह विचाराधीन था। बाढ़ हेतु आपदा राहत [illegible] समिति के समक्ष दिनांक 31.07.2007 की बैठक में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त पत्रांक [illegible] 80 [illegible] संख्या 275, दिनांक 27.07.2007 के आलोक में तैयार प्रस्ताव पर विचार हुआ। प्रस्ताव में [illegible] के अनुसार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-[illegible] दिनांक [illegible] दिनांक 02.04.07 के अन्तर्गत फेरीज के लिए कुशल श्रेणी के नाविकों के समतुल्य मजदूरी नाव के नाविकों हेतु मानते हुए उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित पारिश्रमिक प्रतिदिन 86 (छियासी) रु0 + परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 16 (सोलह) रु0 = कुल 102 (एक सौ दो) रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने की अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतएव, बाढ़ नाव के परिचालन करने वाले नाविकों की पारिश्रमिक प्रतिदिन 86 (छियासी) रु0 + परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 16 (सोलह) रु0 = कुल 102 (एक सौ दो) रुपये प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाय।

तद्नुसार पूर्व निर्गत आदेश को संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 2389 /आ0प्र0, पटना 15, दिनांक 4/8/07

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव